उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 11.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“सुरक्षित यातायात - जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी”
महोबा पुलिस द्वारा ‘यातायात माह - नवम्बर’ के तहत सतत जनजागरूकता अभियान जारी...

जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने, यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में ‘यातायात माह – नवम्बर 2025’ का आयोजन किया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत महोबा पुलिस द्वारा विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों, रैली एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से लोगों को सुरक्षित एवं नियमबद्ध यातायात अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 11 नवम्बर 2025 को यातायात प्रभारी महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस टीम द्वारा मुख्यालय महोबा के प्रमुख स्थल परमानन्द चौक पर एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान टेम्पो/क्रूजर स्टैंड पर ड्राइवरों, वाहन स्वामियों एवं राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग की अनिवार्यता पर बल दिया गया तथा पंपलेट्स वितरित कर जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया।

इस अवसर पर यातायात पुलिस टीम द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा गया कि - “यातायात नियमों का पालन केवल दंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सड़क सुरक्षा एक जिम्मेदारी है, जिसे निभाना हर नागरिक का कर्तव्य है।” सड़क पर संयमित गति, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग तथा मोबाइल फोन से परहेज़ जैसे नियमों का पालन कर एक सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा दें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 11.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 10.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के भूरा टूड़र मोड़ पर बनी पुलिया पर बहद ग्राम महोबकंठ से अवैध शस्त्र व कारतूस लिये 01 नफर अभियुक्त विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 199/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
2. कां0 मनोज कुमार 3. कां0 नितिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट करने के अभियोग में नामित 03 अभियुक्तों में से प्रत्येक को 06-06 माह का कारावास व 1,000-1000 ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप डी.जे.कोर्ट महोबा द्वारा वादी के साथ मारपीट की घटना कारित करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुये प्रत्येक को 06-06 माह की सजा व 1,0,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है:-

थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 279/2016 धारा 323/34 भादवि के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमश: 1. अज्जू पुत्र रामप्रकाश 2.पप्पू पुत्र बाबूराम निवासीगण देवबाध कस्बा श्रीनगर महोबा 3.प्रेम पुत्र हरीकिशन निवासी कस्बा श्रीनगर महोबा।